छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
ए-25, वी.आई.पी. एस्टेट, वी.आई.पी. क्लब के सामने, रायपुर - 492007

दूरभाष- 4065100 से 4065110 फैक्स - 2283594 ई-मेल : mfpfed.cg@nic.in
वेबसाईट : www.cgmfpfed.org

अधिसूचना क्रमांक ते.प.(2015)-V **दिनांक 20.08.2015**

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2015 तेन्दूपत्ता सीजन में संग्रहित एवं गोदामीकृत तेन्दूपत्ते के विक्रय हेतु

आनलाइन ई-नीलाम सूचना

प्राक्कथन

- छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, (जिससे इसके पश्चात् शासन कहा गया है), ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर, (जिससे इसके पश्चात् संघ कहा गया है), को राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में तेन्दूपत्ता के संग्रहण, क्रय एवं व्यापार हेतु, छत्तीसगढ़ तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 की धारा 4 के अंतर्गत अभिकर्ता नियुक्त किया है ।

- शासन के द्वारा वर्ष 2015 सीजन में संघ को अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य की प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्थाओं (जिसे इसके पश्चात् प्राथमिक समिति कहा गया है), जिनमें राज्य शासन एक अंशधारक है, के माध्यम से संबंधित प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों (जिसे इसके पश्चात् समिति कहा गया है), के क्षेत्रों में तेन्दूपत्तों का, जिला वनोपज सहकारी यूनियन (जिसे इसके पश्चात् जिला यूनियन कहा गया है), के पर्यवेक्षण में, संग्रहण कराने के निर्देश दिए गए हैं । संग्रहित पत्ता उपचार उपरांत बोरे में भरकर राज्य के विभिन्न स्थानों पर गोदामों में भण्डारित किया गया है ।

अतएव अब संघ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से उक्त संग्रहित होने वाले तेंदूपत्ते के क्रय के लिए इच्छुक व्यक्तियों/पंजीकृत फर्मों / विधिक कंपनियों से ई-नीलाम में भाग लेने हेतु आमंत्रित करता है । ई-नीलाम सूचना (**परिशिष्ट - I से XII** तक तथा अनुसूची क तथा ख सहित) संघ की वेबसाईट **www.cgmfpfed.org** तथा आनलाइन ई-नीलाम के पोर्टल **www.ncdexspot.com** से निम्नानुसार तिथि से डाउनलोड किये जा सकते हैं:-

ई-नीलाम प्रारम्भ होने की तिथि एवं समय	ई-नीलाम समाप्त होने की तिथि एवं समय	जिस तिथि से ई-नीलाम सूचना डाउनलोड की जा सकती हैं
10.09.2015 प्रात:11:00 बजे से	16.09.2015 दोपहर 16.00 बजे तक (30 मिनट के 3 extensions अतिरिक्त)	26.08.2015

परिशिष्ट-I
(निबंधन एवं शर्तें)

2. परिभाषायें, ई-नीलाम के निबंधन एवं शर्तें तथा बोलीदार के लिए निर्देश -

इस सूचना, इसकी अनुसूची एवं इसके विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये विभिन्न शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो **परिशिष्ट - I** में सम्मिलित " ई-नीलाम के निबंधन एवं शर्तें तथा बोलीदार के लिए निर्देश", में दिए गए अनुसार होंगी । ये "ई-नीलाम के निबंधन एवं शर्तें तथा बोलीदार के लिए निर्देश" इस

ई-नीलाम सूचना के अभिन्न अंग हैं और यह समझा जावेगा कि इस सूचना में समस्त प्रयोजनों के लिये सम्मिलित हैं ।

3. लाट सूची एवं करार अवधि -

अनुसूची (तेन्दूपत्ता की लाट सूची)

विभिन्न इकाईयों से संग्रहित एवं इस सूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित गोदामों में भण्डारित तेंदूपत्ते के लाटों के क्रय के लिये दिनांक 15.03.2016 को समाप्त होने वाली करार अवधि के लिये एतद् द्वारा ई-नीलाम आयोजित की जाती है ।

4. पंजीयन फार्म आदि -

परिशिष्ट-II (ई-नीलाम पत्रक) परिशिष्ट-III (बोलीदार करारनामा)

(I) NCDEX e Markets Ltd. (NeML) का पंजीयन फार्म, नीलाम पत्रक का नमूना (**परिशिष्ट - II**), बोलीदार का करारनामा (**परिशिष्ट - III**) मय अन्य परिशिष्टों के संघ की ऊपर दर्शित वेबसाइट अथवा आनलाइन ई-नीलाम के सर्विस प्रोवाईडर के पोर्टल **www.ncdexspot.com** से डाइनलोड किये जा सकते हैं ।

(II) बोलीदार स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि उसने पंजीयन फार्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों की प्रति संलग्न किया है ।

(III) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139A के अनुसार बोलीदार को स्थाई आयकर क्रमांक (PAN) पंजीयन फार्म में (निर्धारित स्थान पर) अंकित करना एवं PAN कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

5. ई-नीलाम में भाग लेना -

(I) बोलीदार स्वयं यह सुनिश्चित करेगा कि उसने ई-नीलाम में भाग लेने के पूर्व बोलीदार का करारनामा (**परिशिष्ट - III**) निष्पादित किया है जो कि ई-नीलाम में भाग लेने हेतु अनिवार्य है ।

परिशिष्ट-XI (बोलीदार को आनलाइन) ई-नीलाम भरने हेतु अनुदेश (Time Schedule) परिशिष्ट-XII

(II) बोलीदारों को आनलाइन ई-नीलाम में भाग लेने हेतु विस्तृत अनुदेश (**परिशिष्ट - XI**) आनलाइन ई-नीलाम के सर्विस प्रोवाईडर के वेबसाईट **www.ncdexspot.com** तथा संघ के वेबसाईट **www.cgmfpfed.org** पर उपलब्ध होगा तथा आनलाइन ई-नीलाम Time Schedule (**परिशिष्ट - XII**) में दर्शित दिनांक एवं समय के अनुसार होगी । ई-नीलाम से सम्बंधित किसी भी प्रकार की सहायता हेतु NCDEX e Markets Ltd. (NeML) के Business Development Managers से सम्पर्क किया जा सकता है ।

6. ई-नीलाम कार्यक्रम -

ई-नीलाम पूर्व में प्रकाशित तिथि एवं समय (**परिशिष्ट - XI**) के अनुसार सर्विस प्रोवाईडर के पोर्टल **https://cgmfpfed.neml.in** में प्रारम्भ होगा । बोलीदार को प्रथमतः auction bids page में वनोपज TENDUPATTA 2015 (GODOWNED) का चयन करना होगा । आनलाइन बोली केवल रु. प्रति मानक बोरा में Time Schedule (**परिशिष्ट - XII**) में दर्शित तिथि एवं समय के अन्दर भरना होगा ।

7. क्रेता करारनामा का निष्पादन -

परिशिष्ट-VIII
(बोलीदारवार आबंटित लाटों की सूची)

(I) ई-नीलाम में लिये गये निर्णय अनुसार सफल बोलीदार को आवंटित लाटों की सूची संघ की बेवसाइट पर **परिशिष्ट - VIII** में उपलब्ध रहेगी । सफल बोलीदार की सूची एवं असफल बोलीदार की सूची संघ की बेवसाइट www.cgmfpfed.org पर क्रमशः

परिशिष्ट-IX
(सफल बोलीदारों की सूची)
परिशिष्ट-X
(असफल बोलीदारों की सूची)

परिशिष्ट - IX एवं **परिशिष्ट - X** में उपलब्ध रहेगी । सफल बोलीदार का प्रस्ताव के स्वीकृत होने की सूचना ई-मेल द्वारा दी जावेगी और ऐसी स्वीकृति जारी होने की तिथि से सम्बंधित तेन्दूपत्ते के लाट के क्रय की संविदा बोलीदार और संघ के बीच अस्तित्व में आ गई मानी जावेगी एवं बोलीदार लाट का क्रेता माना जावेगा ।

परिशिष्ट-IV
(क्रेता का करारनामा)

(II) सफल बोलीदार को, उसके प्रस्ताव की संघ द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के 30 दिन के अन्दर, प्रत्येक लाट के लिए **परिशिष्ट - IV** (क्रेता का करारनामा) में दिये गये प्रपत्र में करारनामा मुख्य वन संरक्षक अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति के समक्ष निष्पादित करना होगा । बोलीदार के द्वारा 2000/- रूपये बतौर फीस जमा किये जाने पर इस अवधि में मुख्य वन संरक्षक के द्वारा 7 दिन की वृद्धि की जा सकेगी । इस प्रकार 30वां दिन/7वां दिन यदि सार्वजनिक अवकाश रहता है तो करारनामा निष्पादन आगामी कार्य दिवस में किया जा सकेगा। 30 दिन/7 दिन की अवधि की गणना संघ मुख्यालय / मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से आदेश जारी होने की तिथि के आगामी दिन से की जावेगी ।

(III) करारनामें के निष्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में क्रेता की नियुक्ति मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक द्वारा निरस्त की जा सकेगी और ऐसे निरस्तीकरण पर संबंधित लाट के क्रय मूल्य के 8% की राशि सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर ली जायेगी और मुख्य वन संरक्षक द्वारा बोलीदार को ऐसी अवधि के लिये काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा जो 3 वर्ष तक हो सकती है । इसके अतिरिक्त यदि लाट/लाटों, जिसके लिये क्रेता की नियुक्ति निरस्त की गई है, के पश्चात्वर्ती निर्वर्तन पर संघ को हुई हानि, यदि कोई हो, क्रेता को वहन करनी होगी और यदि ऐसी हानि की रकम क्रेता के द्वारा, उसको इस संबंध में जारी की गई मांग सूचना के 15 दिन के अन्दर, जमा नहीं की जाती है तो ऐसी हानि की राशि उससे भू राजस्व के बकाया बतौर वसूली योग्य होगी, परन्तु यदि ऐसे पश्चात्वर्ती निर्वर्तन में क्रय मूल्य से अधिक राशि प्राप्त होती है तो क्रेता का इस अधिक राशि पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा, परन्तु यदि क्रेता चाहे तो क्रय मूल्य के 15% की राशि, सत्यंकार की राशि को सम्मिलित करते हुये, जमा कर वसूली एवं काली सूची में दर्ज होने सहित सभी पश्चात्वर्ती दायित्वों से मुक्त हो सकता है ।

8. देय राशि का भुगतान-

(अ) क्रेता देय राशि का भुगतान, क्रेता करारनामा के प्रावधानानुसार, चार बराबर किश्तों में निम्नांकित तिथियों को अथवा उनके पूर्व करेगाः-

किश्त क्रमांक	तिथि
प्रथम	16.11.2015
द्वितीय	16.12.2015
तृतीय	15.01.2015
चतुर्थ	15.02.2016

(ब) **सम्पूर्ण क्रय मूल्य के भुगतान पर रिबेट-**

यदि क्रेता द्वारा प्रथम किश्त की देय दिनांक तक किसी लाट का सम्पूर्ण क्रय मूल्य समस्त देय करों सहित भुगतान किया जाता है तो क्रय मूल्य की राशि के 2% के बराबर राशि की छूट दी जावेगी । यदि क्रेता इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो वह सम्पूर्ण क्रय मूल्य की 98% राशि तथा सम्पूर्ण क्रय मूल्य (100%) पर समस्त देय करों की राशि का भुगतान करेगा । यदि अधिसूचित मात्रा से अधिक संग्रहण होता है तो यह छूट संग्रहित मात्रा के लिये प्राप्त होगी ।

9. पत्तों का परिदान -

(I) किश्त/किश्तों के भुगतान के उपरांत पत्तों का परिवहन/निकासी **परिशिष्ट - I एवं IV** में दिये गये प्रावधानों के अनुसार होगा ।

परिशिष्ट-V (बैंक गारंटी)

(II) यदि क्रेता बैंक गारंटी के विरूद्ध तेंदूपत्ते का परिदान लेने की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तब वह ऐसा क्रेता करारनामा की कंडिका-6 में दर्शाई प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगा । बैंक गारंटी **परिशिष्ट - V** में दिये गये प्रपत्र में होगी ।

10. परिशिष्ट -

परिशिष्ट - I से V तथा अनुसूची जिनका कि सन्दर्भ उपर दिया गया है तथा **परिशिष्ट - VI से XII (परिशिष्ट - II, III, V तथा VIII से XII** केवल अंग्रेजी में उपलब्ध होंगे) जो कि संघ की अधिसूचना क्रमांक ते.प.(2015)- **V दिनांक 20.08.2015** के साथ संलग्न है, समस्त प्रयोजनों के लिये इस ई-नीलाम सूचना के परिशिष्ट है उनको संदर्भ के लिये देखें ।

11. निबंधनों एवं शर्तों का स्वीकार करना -

इस ई-नीलाम के संदर्भ में ई-नीलाम में भाग लेने के कार्य को ई-नीलाम सूचना की शर्तों तथा **परिशिष्ट - I** में दिये गये निबंधनों एवं शर्तों की बिना शर्त अभिस्वीकृति समझा जावेगा ।

12. क्रेता करारनामा निष्पादन न किये जाने अथवा करारनामा समाप्त होने की दशा में -

हानि की राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी -

संबंधित निविदा/ई-नीलाम से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां ।

13. हिन्दी रूपान्तरण प्राधिकृत पाठ -

इस सूचना का तथा इसकी अनुसूची एवं परिशिष्टों का हिन्दी रूपान्तरण सभी प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत पाठ समझा जावेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से
प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर-492007

परिशिष्ट - I

ई-नीलाम के निबंधन एवं शर्तें तथा बोलीदारों के लिए निर्देश जो ई-नीलाम सूचना क्रमांक ते.प.(2014)- V दिनांक 20.08.2015 के भाग है

ई-नीलाम के निबंधन व शर्तें तथा बोलीदारों के लिए निर्देश और ई-नीलाम सूचना एवं उसकी अनुसूची व विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें नीचे दिये अनुसार हैं । ये ई-नीलाम सूचना के अभिन्न अंग होंगे ।

1. परिभाषाएं -

इस अधिसूचना तथा इसके परिशिष्टों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

(i) **''अधिनियम''** से तात्पर्य तत्समय प्रवृत छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 (1964 का स. 29) से हैं ।

(ii) **''अभिकर्ता''** से तात्पर्य शासन द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अंर्तगत नियुक्त अभिकर्त्ता से है ।

(iii) **''देय राशि''** से तात्पर्य लाट के क्रय मूल्य तथा उस पर देय कर के योग से है, जो सफल बोलीदार को देनी होगी । अधिसूचित मात्रा से अधिक संग्रहित / क्रय मात्रा का ई-नीलाम दर पर करों सहित क्रय मूल्य इसमें सम्मिलित होगा ।

(iv) **''परिशिष्ट''** से तात्पर्य ई-नीलाम सूचना के परिशिष्ट से है ।

(v) **''बकाया''** से अभिप्रेत है, बोलीदार के विरूद्ध बकाया ऐसी कोई राशि जो छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग अथवा संघ को शोध्य है और जिसकी सूचना ई-नीलाम समाप्ति की तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व वन विभाग अथवा संघ अथवा उनके पदाधिकारी द्वारा उसे पंजीकृत डाक द्वारा भेजी गई हो,

(vi) **''संग्रहणकाल''** से तात्पर्य कैलेण्डर वर्ष की अप्रैल से जून तक की अवधि से है,

(vii) **''मुख्य वन संरक्षक''** से तात्पर्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक से है, जो संघ के पदेन महाप्रबंधक भी घोषित है,

(viii) **''जिला यूनियन''** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत कोई जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, जो संघ की सदस्य हो,

(ix) **''वन मंडलाधिकारी''** से तात्पर्य संबंधित वन मंडलाधिकारी से हैं, जो संघ के संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक भी घोषित हैं,

(x) **''संघ''** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर से है।

(xi) **''शासन''** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ शासन से है,

(xii) **''लाट''** से अभिप्रेत है, किसी प्राथमिक सहकारी समिति/वन विभाग द्वारा संग्रहित तेंदूपत्ता जो बोरों में भरकर एक या एक से अधिक गोदामों में गोदामीकृत किया गया है ।

(xiii) **''नियमावली''** से तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966 से है ।

(xiv) **"प्राथमिक समिति"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित जो "जिला यूनियन" की सदस्य हो ।

(xv) **"क्रय क्षमता"** से तात्पर्य उस राशि से है जो इन शर्तों एवं निबंधनों की शर्त क्रमांक 5(II) के प्रावधानों के अनुसार मान्य की गई हो ।

(xvi) **"क्रय मूल्य"** से तात्पर्य उस राशि से है, जो तेंदूपत्ता लाटों की संग्रहित मानक बोरा में दर्शित मात्रा, को नीचे (xvii) की परिभाषित क्रय दर से गुणा करने पर प्राप्त हो ।

(xvii) **"क्रय दर"** से तात्पर्य बोलीदार के द्वारा प्रस्तावित उस प्रति मानक बोरा ई-नीलाम दर से है, जो संघ के द्वारा स्वीकृत की गई हो ।

(xviii) **"परिक्षेत्र अधिकारी"** से तात्पर्य संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी से हैं, जो संघ के पदेन परिक्षेत्र प्रबंधक भी हैं,

(xix) **"देय कर"** से तात्पर्य लाट के पत्तों के क्रय मूल्य पर समय-समय पर प्रवृत्त देय मूल्य संवर्धित कर, वन विकास उपकर व अन्य सभी कर/उपकर आदि से है,

(xx) **"बोली"** से तात्पर्य उस प्रति मानक बोरा दर (जिसमें मूल्य संवर्धित कर, वन विकास उपकर तथा अन्य कोई कर/उपकर सम्मिलित नही हैं) से है जो बोलीदार विभिन्न लाटों के तेन्दूपत्ता के क्रय के लिए **परिशिष्ट - II** में दिए गए ई-नीलाम पत्रक में अलग-अलग लाट के लिए प्रस्तावित करेगा ।

(xxi) **"बोलीदार"** से तात्पर्य उस व्यक्ति अथवा पंजीकृत फर्म या विधिक कंपनी से है, जो इन निबंधनों तथा शर्तों के अधीन, तेंदूपत्ता क्रय करने हेतु बोली प्रस्तुत करता है और इस अभिव्यक्ति में उसका दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे ।

(xxii) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो उपर परिभाषित नहीं हैं, परन्तु जो अधिनियम अथवा नियमावली में परिभाषित हैं, अर्थ वही होगा जो उनके लिए कथित अधिनियम अथवा नियमावली में दिया गया है ।

2. इकाईयों का विवरण -

इकाईयों का विवरण (नाम एवं सीमा) जिसमें से संग्रहण किया जाना है मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 की धारा 3 के अधीन, मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक ते.प/ 11001, दिनांक 26.11.86 तथा पश्चातवर्ती संशोधनों में दिया गया है ।

3. अधिनियम के प्रावधान का लागू होना -

अधिनियम तथा नियमावली के समस्त तत्समय प्रवृत्त प्रावधान जहां तक कि वे क्रेताओं के उपर लागू होते है ई-नीलाम सूचना एवं क्रेता करारनामे के निबंधनों तथा शर्तों के विशेषतः अभिन्न अंग होंगे ।

4. विक्रय "जहां है जैसा है" के आधार पर -

(I) शर्त क्रमांक 4(II) के अध्यधीन रहते हुए तेंदूपत्ते का विक्रय "जहां है जैसा है" के आधार पर है । इच्छुक बोलीदारों को यह सलाह दी जाती है कि वे उन गोदामीकृत तेंदूपत्ते के लाटों जिनके लिए वे बोली प्रस्तुत करना चाहते हैं, का स्वयं निरीक्षण कर लें तथा प्रत्येक लाट में तेंदूपत्ता की गुणवत्ता के साथ साथ उसमें वास्तविक बोरों की उपलब्धता के बारे में भी अपनी संतुष्टि कर लें । बोली प्रस्तुतीकरण के पश्चात् तेंदूपत्ते की गुणवत्ता या उनके बीड़ी निर्माण हेतु

उपयुक्तता के संबंध में किसी भी समय कोई भी विवाद मान्य नहीं किया जायेगा और न ही बोलीदार का आफर स्वीकृत हो जाने के पश्चात् संघ तेंदूपत्ते की गुणवत्ता में ह्रास के लिए उत्तरदायी होगा तथा तेंदूपत्ता क्रेता के उत्तरदायित्व पर गोदाम में भण्डारित रहेगा ।

(II) ठेका तेंदूपत्ते की अनुसूची में वर्णित मानक बोरों में अधिसूचित मात्रा के क्रय/ विक्रय के लिए होगा । परन्तु यदि किसी लाट में इस ई-नीलाम सूचना में अधिसूचित मात्रा से अधिक संख्या में मानक बोरे हैं, तब क्रेता को उन्हें भी उस लाट के लिए स्वीकृत दर पर अतिरिक्त राशि का भुगतान कर क्रय करना होगा । अतिरिक्त राशि का भुगतान क्रेता द्वारा लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी होने के पूर्व करना होगा । अधिसूचित मात्रा में किसी गणितीय या लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित है तथा किश्तों में तद्नुसार संशोधन किया जावेगा तथा क्रेता को संशोधित मात्रा एवं किश्तों को मान्य करना होगा ।

(III) स्टाक की उल्टा-पल्टी करने या उन्हें किसी अन्य गोदाम में स्थानान्तरित करने का अधिकार, क्रेता को इस आशय की सम्यक् सूचना कि यदि वह चाहे तो उपरोक्त कार्य के समय उपस्थित रह सकता है, दिये जाने के उपरांत संघ/ जिला यूनियन के पास सुरक्षित है ।

5. बोली प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत व्यक्ति आदि-

(I) पंजीयन फार्म पर हस्ताक्षर करने वाले तथा बोली देने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा यह उल्लेखित किया जायेगा कि वह/वे किस हैसियत से पंजीयन फार्म पर हस्ताक्षर कर रहा है/कर रहे हैं, उदाहरणार्थ, सम्बंधित फर्म के पूर्ण स्वामी अथवा किसी मर्यादित कम्पनी के प्रबंध संचालक, संचालक अथवा सचिव के रूप में । भागीदारी फर्म के मामले में सभी भागीदारों के नाम अभिलिखित होंगे और पंजीयन फार्म पर उनके सम्यक् रूप में नियुक्त अटार्नी द्वारा जिसे मुख्त्यारनामा द्वारा या भागीदारी विलेख में दिये गये अनुसार संविदा संबंधी सभी विषयों में सभी भागीदारों को आबद्ध करने का अधिकार हो, हस्ताक्षर किये जायेंगे । पंजीकृत भागीदारी विलेख की एक सत्य प्रति पंजीयन फार्म के साथ अपलोड की जायेगी जो न करने पर पंजीयन अमान्य किये जाने योग्य होगी । जिस फर्म ने करार किया है, उस फर्म के प्रत्येक भागीदार के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह करार के चालू रहने के दौरान उसके अनुबंधों तथा शर्तों का अनुपालन करें, भले ही अभ्यंतर काल में भागीदारी का विघटन हो गया हो । मर्यादित कम्पनी की स्थिति में पंजीयन फार्म पर तथा बोली देने वाले उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिसे कम्पनी द्वारा वैसा करने हेतु अधिकृत किया हो तथा कम्पनी को सर्टीफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन (Certificate of Incorporation) की एक प्रति और वह पत्र जिसके द्वारा उस व्यक्ति को पंजीयन फार्म अभिलेखों में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है, पंजीयन फार्म के साथ संलग्न किये जायेंगे जो न करने पर पंजीयन अमान्य किये जाने योग्य होगी । अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब की स्थिति में "कर्ता" जो कुटुम्ब को आबद्ध कर सके, पंजीयन फार्म पर हस्ताक्षर करेगा एवं बोली देने वाले तथा परिवार के समस्त सदस्यों की सूची पंजीयन फार्म के साथ संलग्न की जावेगी ।

(II) किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से पंजीयन फार्म पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति पंजीयन फार्म के साथ मुख्त्यारनामा या उसके पक्ष में सम्यक् रूप से निष्पादित डीड या भागीदारी विलेख, जिसमें उसे यह शक्ति दी गई हो, जो यह दर्शाये कि यथास्थिति ऐसे अन्य व्यक्तियों को या फर्म को, संविदा संबंधी सभी विषयों में आबद्ध करने का उसे अधिकार है, पंजीयन फार्म के साथ संलग्न करेगा । यदि पंजीयन फार्म पर इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति उक्त मुख्त्यारनामा या भागीदारी विलेख संलग्न नहीं करता हैं, तो उसकी पंजीयन संक्षिप्त रूप से अस्वीकृति योग्य होगी । मुख्त्यारनामे पर, भागीदारी प्रतिष्ठान होने पर सभी भागीदारों द्वारा, प्रोप्राइटर फर्म होने पर प्रोप्राइटर द्वारा तथा मर्यादित कम्पनी होने पर उस व्यक्ति द्वारा जो अपने हस्ताक्षर से कम्पनी को आबद्ध कर सकता है, हस्ताक्षर किये जायेंगे । हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब होने पर मुख्त्यारनामे पर "कर्ता" जो अपने हस्ताक्षर से कुटुम्ब को आबद्ध कर सकता है, द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे ।

(III) अवयस्क, दिवालिया, बकायादार अथवा काली सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत पंजीयन अवैध मानी जावेंगी । ***यदि कोई कालीसूची में दर्ज व्यक्ति/फर्म किसी अन्य व्यक्ति के साथ दूसरी फर्म बना लेता है तो वह फर्म भी काली सूची में दर्ज मानी जावेगी ।***

(IV) ऐसा बोलीदार जो कि बकायादार है, किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो संघ के प्रबंध संचालक के पक्ष में रायपुर में देय हो, बकाया का भुगतान संघ कार्यालय या सम्बन्धित प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में ई-नीलाम खुलने के पूर्व कर सकता है ।

(V) बोलीदार का बोली देने की तिथि को अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत विनिर्माता/ निर्यातक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है और यदि वह क्रेता नियुक्त किया जाता है तो उसे करार समाप्ति की तिथि तक पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा । पंजीयन फार्म में निर्दिष्ट स्थान पर उस वर्ष जिसमें बोली दी गई हैं के पंजीयन प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं दिनांक तथा वन मंडल का उल्लेख करना आवश्यक है एवं पंजीयन फार्म के साथ वन मंडलाधिकारी द्वारा दिये गए पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है ।

6. सत्यंकार की राशि -

(I) प्रत्येक बोली, सत्यंकार की राशि, जो पंजीयन फार्म में दर्शित क्रय क्षमता की 8% होगी, के साथ शर्त क्रमांक 15 (I) में दर्शाये विवरण अनुसार प्रस्तुत की जावेगी । अन्य किसी रूप में सत्यंकार की राशि जमा करने पर पंजीयन संक्षिप्त रूप से अमान्य किये जाने योग्य होगी ।

(II) क्रय क्षमता सत्यंकार की राशि की 12.5 गुना होगी और इस प्रकार मान्य की गई क्रय क्षमता के आधार पर बोली पर विचार किया जायेगा ।

(III) सफल बोलीदारों की सूची एवं असफल बोलीदारों की सूची संघ की बेवसाइट www.cgmfpfed.org पर क्रमशः **परिशिष्ट - IX** एवं **परिशिष्ट - X** में उपलब्ध रहेगी । सफल बोलीदार के द्वारा जमा की गई सत्यंकार की राशि प्रथमतः उसके द्वारा देय प्रतिभूति राशि के रूप में शर्त क्रमांक 11 (I) के अनुसार क्रय मूल्य की 10% की सीमा तक समायोजित की जावेगी ।

(IV) ई-नीलाम के समापन के उपरांत, उच्चतम बोलीदारों की सत्यंकार की राशि शासन/संघ द्वारा ई-नीलाम पर निर्णय लिये जाने तक अवरुद्ध रहेगी । शासन/संघ द्वारा उच्चतम बोली को अस्वीकार करने की स्थिति में अवरोधित सत्यंकार की राशि मुक्त कर दी जावेगी तथा बोलीदार ई-नीलाम प्रणाली के माध्यम से वापसी हेतु अनुरोध कर सकते हैं और सत्यंकार की राशि एक कार्य दिवस के भीतर बोलीदार के पंजीकृत खाते में हस्तांतरित कर दी जावेगी । ई-नीलाम के समापन के उपरांत, उच्चतम बोली के अलावा अन्य बोली भरने वाले बोलीदारों की सत्यंकार की राशि स्वतः मुक्त कर दी जावेगी जिसे कि बोलीदार स्वयं ई-नीलाम प्रणाली के माध्यम से वापस ले सकते हैं । अगले चक्र की ई-नीलाम हेतु बोलीदार को सत्यंकार की राशि पुनः जमा करना होगी ।

(V) सत्यंकार की राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

7. शर्तों के साथ बोली भरने की प्रक्रिया -

(I) बोलीदार ई-नीलाम के समापन तक एक या एक से अधिक लाटों के लिये एक या एक से अधिक बार बोली प्रस्तुत कर सकेगा ।

(II) किसी भी लाट हेतु ई-नीलाम प्रणाली में प्राप्त उच्चतम बोली से कम दर की बोली स्वीकार नहीं की जावेगी ।

(III) बोलीदार द्वारा Quote (Rs /UOM) कॉलम में भरी गई बोली के समान बोली प्रस्तावित करने पर ई-नीलाम प्रणाली द्वारा बोली स्वीकार नहीं की जावेगी ।

(IV) बोलीदार जिन लाटों हेतु बोली प्रस्तुत करना चाहता है उसी लाट के समक्ष Quote (Rs /UOM) कॉलम में पृथक-पृथक बोली प्रस्तुत कर सकेगा ।

(V) बोलीदार जिन लाटों हेतु बोली प्रस्तुत करना चाहता है उन लाटों के लिये प्रस्तुत बोली को सुरक्षित कर रखने का प्रावधान है । बोलीदार ऐसे लाटों के समक्ष Quote (Rs /UOM) कॉलम में प्रस्तावित बोली को भरकर **"Save Quotes"** को **Click** करके सुरक्षित रख सकता है तथा ई-नीलाम समापन के पूर्व कभी भी इस बोली को प्रस्तुत कर सकता है ।

(VI) बोलीदार द्वारा उपरोक्तानुसार सुरक्षित की गई बोली को शासन/संघ द्वारा तब तक स्वीकृति के लिये विचार नहीं करेगा जब तक कि बोलीदार ई-नीलाम समापन के पूर्व ऐसी बोली को प्रस्तुत नहीं कर देता ।

(VII) बोलीदार को बोली भरने के लिये दो स्क्रीन उपलब्ध होंगे, जो कि पूर्णतः बोलीदार पर निर्भर करेगा कि वह बोली प्रस्तुत करते समय किस स्क्रीन का उपयोग करेगा । **"Normal Screen"** जिस पर पूरे लाट प्रदर्शित होंगे तथा **"Manual Screen"** जिस पर वे लाट प्रदर्शित होंगे जिनमें बोलीदार द्वारा बोली प्रस्तुत की गई है अथवा प्रस्तुत करना चाहता है ।

(VIII) **"Manual Screen"** पर बोलीदार जिन लाटों पर बोली प्रस्तुत करना चाहता है उसका Lot No. or Lot Id भरने के पश्चात **"Enter"** को **Click** करने पर लाट की जानकारी प्रदर्शित हो जावेगी जिसे हेतु बोलीदार बोली प्रस्तुत कर सकेगा ।

(IX) न्यूनतम बोली रू. 1200/-, न्यूनतम वृद्धिशील बोली (Minimum Incremental Tick) का आकार रु. 5/- होगी परंतु अधिकतम की कोई सीमा नहीं होगी ।

(X) NCDEX e Markets Ltd. (NeML) के द्वारा ई-नीलाम में प्राप्त उच्चतम बोली को H-1 घोषित की जावेगी । बोलीदारों के किसी भी लाट या समस्त लाटों के उच्चतम बोली/बोलियों को स्वीकार/अस्वीकार करने का विवेकाधिकार शासन/संघ रखता है ।

(XI) NCDEX e Markets Ltd. (NeML) के द्वारा बोलीदार को ई-नीलाम में बोली प्रस्तुत करने के लिये Bidder's username and the password आवंटित किया जाता है, उक्त Bidder's username and the password का उपयोग कर यदि बोलीदार बोली प्रस्तुत करता है जो वह बिना शर्त बंधनकारी होगा । बोलीदार बोली प्रस्तुत करने तथा Bidder's username and the password के तहत् होने वाली सभी अन्य गतिविधियों के लिये पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे । बोलीदार को ई-नीलाम से पहले अपने username and the password की जाँच करने एवं किसी अन्य को नहीं बतलाने की सलाह दी जाती है, ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके ।

(XII) वनोपज के ई-नीलाम में किसी लाट के अंतिम समय के 15 मिनट के पूर्व यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो उस लाट की अवधि 30 मिनट के लिए बढ़ जायेगी, तथा पुनः अंतिम समय के 15 मिनट के पूर्व यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो उस लाट की अवधि 30 मिनट के लिए और बढ़ जायेगी और यह व्यवस्था तीन Extention के लिए रहेगी । तीन Extentions के बाद उस लाट हेतु और Extention नहीं होगी ।

8. इंटरनेट कनेक्टिविटी -

किसी भी प्रकार की बिजली, नेटवर्क, होस्टिंग सर्वर, सर्वर बैंडविथ समस्या, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ISP एवं NCDEX e Markets Ltd. के द्वारा ई-नीलाम हेतु तैयार लिंक **https://cgmfpfed.neml.in** के उपयोग तथा अन्य समस्याओं के विफलता के लिये संघ और NCDEX e Markets Ltd. जिम्मेदार नहीं होगा ।

9. बोली को वापिस लिया जाना आदि -

बोली के Fianl Submission उपरांत कोई भी बोलीदार किसी लाट/लाटों के लिये अपनी बोली वापस नहीं ले सकेगा और वह अपनी बोली तथा ई-नीलाम सूचना के निबंधनों तथा शर्तों से तब तक बाध्य रहेगा जब तक संघ के द्वारा उसके प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी पत्र जारी नहीं कर दिया जाता । इस शर्त का उल्लंघन करने पर संबंधित लाट/लाटों के क्रय मूल्य, जो कि उसके द्वारा प्रस्तावित दर को लाट की मानक बोरा मात्रा से गुणा करने पर परिगणित किया जावेगा, की 8% राशि का उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर लिया जावेगा और उसे 3 वर्ष तक की कालावधि के लिये काली-सूची में दर्ज किया जा सकेगा ।

10. बोलियों को स्वीकार किया जाना -

(I) शासन/संघ पंजीयन फार्म में अंकित किसी भी लाट या समस्त लाटों के प्रस्ताव/प्रस्तावों को बिना कारण दर्शाये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

(II) विभिन्न बोलीदारों को लाटों का आवंटन करने के लिए शासन/संघ विभिन्न लाटों या लाटों के वर्ग या विभिन्न क्षेत्रों के लाटों के लिए भिन्न-भिन्न कट आफ स्तर/अवरोध मूल्य निर्धारित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है ।

(III) बोलीदार ऐसे लाट/लाटों को जो कि उसकी क्रय क्षमता की सीमा के अंदर आते है और जिनके प्रस्ताव स्वीकार किये जाते हैं, स्वीकार करने को बाध्य होगा ।

11. प्रतिभूति निक्षेप -

(I) क्रेता करारनामा निष्पादित करने के पूर्व निष्पादित किये जाने वाले क्रेता करारनामा के निबंधनों तथा शर्तों के यथोचित अनुपालन के लिए सफल बोलीदार को उसके पक्ष में संघ के द्वारा स्वीकृत किये गये लाटों की अधिसूचित मात्रा के आधार पर कुल क्रय मूल्य की 10% की राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करना होगी और इस प्रयोजन हेतु उसके द्वारा शर्त क्रमांक 5 के अनुसार जमा की गई सत्यंकार की राशि जिस हद तक उपलब्ध है, प्रतिभूति निक्षेप के रूप में संघ के द्वारा समायोजित कर ली जावेगी और अवशेष राशि निर्धारित समय के अंदर उसे जमा करना होगा । अवशेष प्रतिभूति की आशिंक राशि मुख्य वन संरक्षक के पास, शर्त क्रमांक 15 में दर्शाये विवरण अनुसार जमा की जाएगी तथा अवशेष प्रतिभूति की आंशिक राशि प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के नाम से **परिशिष्ट - VI** में जिला यूनियन के समक्ष दर्शाये स्थान के किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय होगा, के रुप में अदा की जाएगी ।

(II) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधो के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित की जा सकती है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी ।

(III) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी ।

(IV) प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि, जैसी भी स्थिति हो, वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामें के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा ई-नीलाम सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती, के पश्चात् अंतिम किश्त के विरूद्ध समायोजित की जावेगी । लाट की अधिसूचित मात्रा से अधिक पायी गई मात्रा का परिदान क्रेता द्वारा लेना होगा । उक्त अधिक मात्रा हेतु देय राशि, लाट के विक्रय मूल्य के आधार पर उसे भुगतान करना होगा । लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र उसके द्वारा उक्त राशि भुगतान करने पर ही जारी किया जावेगा ।

12. तेन्दूपत्ते का परिदान -

(I) तेंदूपत्ते को परिवहन/निकासी की अनुमति संग्रहित मात्रा के अनुसार देय किश्त की पूर्ण राशि के भुगतान होने पर ही क्रेता को दी जावेगी ।

(II) देय किश्त की राशि के पूर्ण भुगतान होने के पश्चात् लाट की कुल अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा का परिदान दिया जावेगा । परिदान दिये जाने के समय लाट में से तेंदूपत्ते की छटांई करने की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा परिदान छल्ली (स्टेक) के उस एक ओर से ही दिया जावेगा जिस ओर से परिदान प्रारम्भ किया गया हो ।

(III) क्रेता को उसके द्वारा परिदान में ली गई स्टाक की सम्पूर्ण मात्रा को संघ के गोदामों के परिसरों से हटाना होगा तथा उसे छंटाई या अन्य किसी प्रकार के कार्य को संघ के गोदामों के परिसरों या उनके निकट के क्षेत्र में करने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

(IV)**(अ)** प्रथम किश्त की देय राशि का पूर्ण भुगतान किये जाने के पश्चात् यदि क्रेता लाट के पत्तों का खुला परिदान लेना चाहता है तो उसे इस आशय का आवेदन पत्र मुख्य वन संरक्षक को देना होगा । क्रेता के आवेदन पत्र पर मुख्य वन संरक्षक क्रेता को संघ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खुला परिदान देने की अनुमति देंगे । खुले परिदान के अंर्तगत लाट की अधिसूचित मात्रा के एक चौथाई भाग का परिदान दिया जावेगा । परिदान के समय लाट में से बोरों की छटाई की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा परिदान छल्ली के उस एक ओर से दिया जावेगा जिस ओर से परिदान प्रारम्भ किया गया है ।

(ब) इस प्रकार के परिदान के समय प्रत्येक बोरे का खोलकर उसमें भरी हुई गड्डियों की गिनती क्रेता के समक्ष की जावेगी तथा उन्हें बोरों में पुनः भरकर तदनुसार मात्रा का निर्धारण कर परिदान दिया जावेगा । इस प्रकार गिनती एवं गड्डियों को बोरों में पुनः भरने, सिलाई, थप्पी करने आदि कार्यों पर होने वाला समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया जावेगा। इस व्यय का भुगतान क्रेता द्वारा इस तेंदूपत्ते के परिवहन के पूर्व किया जावेगा ।

(i) इस प्रकार गड्डियों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा यदि लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा से साढ़े सात प्रतिशत ($7^1/_2\%$) तक कम आती है, तो लाट की अधिसूचित मात्रा में कोई कमी नहीं की जावेगी एवं तदनुसार प्रथम किश्त के तेंदूपत्ते का परिदान क्रेता को किया जावेगा । इस प्रकार पाई गई कमी के संबंध में कोई विवाद मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्रेता को देय राशि में किसी प्रकार की कोई छूट देय नहीं होगी तथा आगामी किश्तों की देय राशि के भुगतान के पश्चात् शेष तेंदूपत्ते का अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिदान कर दिया जावेगा । शेष अधिसूचित मात्रा के परिदान के पूर्व उसके अवशेष बोरों में गड्डियों की कोई गिनती नहीं की जावेगी एवं न ही खुला परिदान दिया जावेगा ।

(ii) परन्तु यदि इस प्रकार गड्डियों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई से साढ़े सात प्रतिशत $(7^1/_2\%)$ से अधिक कम आती है, तो लाट की अधिसूचित मात्रा में तदनुसार कमी कर प्रथम किश्त की देय राशि की गणना संशोधित कर क्रेता द्वारा अधिक जमा राशि आगामी जमा राशि आगामी किश्त/किश्तों में समायोजित की जावेगी ।

(iii) यदि इस प्रकार गड्डियों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा से अधिक आती है, तो इस अधिक मात्रा के लिये क्रेता को क्रय मूल्य तथा उस पर देय समस्त कर आदि का भुगतान करना होगा। इस प्रकार अधिक देय राशि के भुगतान के पश्चात् ही क्रेता को प्रथम किश्त के तेंदूपत्ते की इस अतिरिक्त मात्रा का परिदान दिया जावेगा ।

(iv) उपरोक्त शर्त क्रमांक (ii) एवं (iii) के अनुसार कम/ अधिक मात्रा के आधार पर आगामी किश्तों की मात्रा भी संशोधित की जावेगी एवं तदनुसार इस संशोधित मात्रा के आधार पर क्रेता को आगामी किश्तों की देय राशि का भुगतान करना होगा एवं इस संशोधित मात्रा के आधार पर ही क्रेता को आगामी किश्तों के तेंदूपत्ते का परिदान दिया जावेगा, जिसे उसे मान्य करना होगा। प्रथम किश्त के उपरांत आगामी किश्तों के पत्ते का खुला परिदान किसी भी स्थिति में नहीं दिया जावेगा ।

इस प्रकार शर्त क्रमांक 12(IV) (ब)(i), (ii),(iii) के अनुसार परिगणित की गई मात्रा एवं देय राशि के संबंध में मुख्य वन संरक्षक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

13. अधिनियम आदि का उल्लंघन -

ऐसा क्रेता जो अधिनियम, नियमावली और/ अथवा क्रेता करारनामे की किन्ही शर्तों का उल्लंघन करता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 15 के अंर्तगत वह दंडित किया जाता है या उसके करारनामें को समाप्त किया जाता है, को पांच वर्ष की कालावधि तक के लिए काली सूची में मुख्य वन संरक्षक के द्वारा दर्ज किया जा सकेगा ।

14. करारनामें का हस्तांतरण -

क्रेता संघ/ मुख्य वन संरक्षक की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना अनुबंध को किसी अन्य व्यक्ति/ पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा । ऐसे अनुबंध का हस्तांतरण संघ/ संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा इस शर्त पर किया जा सकेगा कि जिस व्यक्ति/ पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान के पक्ष में अनुबंध हस्तांतरित किया जाना है वह रू. 5000/- की राशि हस्तांतरण शुल्क के रूप में तथा लाट के क्रय मूल्य की 10% राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में किसी अनुसूचित बैंक के डिमांड/ बैंक ड्राफट जोकि प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के पक्ष में जिला यूनियन के मुख्यालय की किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर/रायपुर में देय होगा, के माध्यम से अग्रिम में अदा करें । हस्तांतरणकर्ता का आवेदन, हस्तांतरण ग्रहिता की सहमति, अधिनियम के तहत विनिर्माता/ निर्यातक के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति एवं उपरोक्तानुसार हस्तांतरण शुल्क रू. 5000/- तथा लाट के क्रय मूल्य की 10% प्रतिभूति निक्षेप की राशि के ड्राफट संघ/ संबंधित मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में प्रथम किश्त की देय तिथि के पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए । ऐसे प्रकरणों में हस्तांतरणकर्ता क्रेता लाट के संबंध में अपने दायित्वों से तब तक मुक्त नहीं होगा, जब तक हस्तांतरण ग्रहिता क्रेता संबंधित मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में संबंधित लाट का करारनामा निष्पादित नहीं कर देता है ।

15. देय राशि की भुगतान की प्रक्रिया -

(I) बोलीदार द्वारा

बोलीदार को सत्यंकार (E.M.D.) की राशि का भुगतान आनलाइन Payment Gateway Service Provider के माध्यम से ही करना होगा । बोलीदार द्वारा आनलाइन भुगतान निम्न में से किसी प्रकार से किया जा सकता है ।

1. नेट बैंकिग (Net Banking)

बोलीदार नेट बैंकिग सुविधा उपलब्ध बैंक के खाते से NCDEX e Markets Ltd. (NeML) के निम्न तालिका में दर्शित बैंक खातों में सत्यंकार की राशि आनलाइन हस्तांतरण कर सकता है । बोलीदार सत्यंकार की राशि आनलाइन हस्तांतरण करने के उपरांत बैंक द्वारा दी गई आवश्यक जानकारी जैसे लेनदेन संदर्भ संख्या (Transaction Reference Number) आदि को संभाल कर रखें । ई-नीलाम पोर्टल में लॉगिन करने के उपरांत Fund Deposit request page पर लेनदेन संदर्भ संख्या (Transaction Reference Number) तथा जमा की गई राशि की सही-सही जानकारी भरनी होगी । भरी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर NCDEX e Markets Ltd. बोलीदार द्वारा जमा की गई राशि के अनुरोध को अमान्य कर सकेगा इस स्थिति में बोलीदार को पुनः लेनदेन संदर्भ संख्या (Transaction Reference Number) तथा जमा की गई राशि की सही-सही जानकारी भरनी होगी ।

2. आर.टी.जी.एस./एन.इ.एफ.टी (RTGS/NEFT)

बोलीदार बैंक के खाते से NCDEX e Markets Ltd. (NeML) के निम्न तालिका में दर्शित बैंक खातों में सत्यंकार की राशि RTGS/NEFT द्वारा हस्तांतरण कर सकता है । बोलीदार सत्यंकार की राशि हस्तांतरण करने के उपरांत बैंक द्वारा दी गई आवश्यक जानकारी जैसे लेनदेन संदर्भ संख्या (Transaction Reference Number) आदि को संभाल कर रखें । ई-नीलाम पोर्टल में लॉगिन करने के उपरांत Fund Deposit request page पर लेनदेन संदर्भ संख्या (Transaction Reference Number) तथा जमा की गई राशि की सही-सही जानकारी भरनी होगी । भरी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर NCDEX e Markets Ltd. बोलीदार द्वारा जमा की गई राशि के अनुरोध को अमान्य कर सकेगा इस स्थिति में बोलीदार को पुनः लेनदेन संदर्भ संख्या (Transaction Reference Number) तथा जमा की गई राशि की सही-सही जानकारी भरनी होगी ।

NCDEX e Markets Ltd., Mumbai			
Bank Name	**Settlement Account**	**IFSC Code**	**Branch Name**
HDFC Bank	00990690013043	HDFC0000060	Fort, Mumbai
Axis Bank	004010202176811	UTIB0000004	Fort, Mumbai
Bank of India	008620110000781	BKID0000086	Fort, Mumbai
Punjab National Bank	0082002100071810	PUNB0008200	Bandra (West), Mumbai
State Bank of India	30760960198	SBIN0011777	Fort, Mumbai
Central Bank of India	3244662932	CBIN0284082	Capital Market Branch
Kotak Mahindra Bank	0111410712	KKBK0000958	Nariman Point, Mumbai
Canara Bank	2426246025044	CNRB0002426	NSE, Fort, Mumbai
ICICI Bank	000405105961	ICIC0000004	Nariman Point, Mumbai

(II) बोलीदार द्वारा क्रेता नियुक्त होने पर

1. क्रेता छ.ग. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर को देय समस्त राशि जैसे कि विक्रय मूल्य, वन विकास उपकर, मूल्य संवर्धित कर, आय कर, ब्याज एवं गोदाम किराया आदि का भुगतान किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट जो कि प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के नाम होगा तथा **परिशिष्ट - V** में जिला यूनियन के समक्ष दर्शाये स्थान के किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय होगा, के रूप में जिला यूनियन कार्यालय में अथवा रायपुर स्थित निम्न बैंकों में उनके समक्ष दर्शाये RTGS कोड/ बैंक खाता क्रमांक में RTGS के माध्यम से हस्तानांतरण द्वारा कर सकता है ।

बैंक एवं शाखा का नाम	RTGS कोड/ बैंक खाता क्रमांक
1. पंजाब नेशनल बैंक, रायपुर (मुख्य शाखा)	PUNB0039900/0399000100191933
2. भारतीय स्टेट बैंक, रायपुर (व्ही.आई.पी. इस्टेट शाखा)	SBIN0013004/32084656047
3. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, रायपुर (सिविल लाइन्स शाखा)	ICIC0000161/016105006260

बैंक के द्वारा संचालित RTGS व्यवस्था में किसी प्रकार के व्यवधान के कारण संघ के खाते में राशि प्राप्त न होने अथवा विलम्ब से प्राप्त होने का पूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता का होगा । आर.टी.जी.एस. व्यवस्था से भुगतान की तिथि वही मानी जावेगी, जिस तिथि को संघ के बैंक खाते में राशि प्राप्त होगी ।

क्रेता द्वारा भुगतान करने के उपरांत मनी रसीद जारी करने हेतु **परिशिष्ट - VII** में आवेदन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित को प्रस्तुत करना होगा तत्पश्चात् ही छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित द्वारा मनी रसीद जारी की जावेगी ।

2. उपरोक्त के अलावा एक नई भुगतान व्यवस्था जो एच्छिक है लागू की गई है । इस प्रक्रिया के अनुसार लघु वनोपज संघ के वेबसाइट **www.cgmfpfed.org** के मुख पृष्ठ (Home Page) में एक Link **Online Payment Module** उपलब्ध होगा । क्रेता द्वारा उक्त Link को Click करने पर एक इनपुट फार्म खुल जावेगा, उक्त फार्म में राशि जमा करने वाले इच्छुक क्रेता द्वारा क्रमशः क्रेता का नाम, पी.टी.एन., ई-मेल, मोबाईल क्रमांक, जिला यूनियन का नाम, वनोपज का नाम, संग्रहण वर्ष, लाट क्रमांक, विक्रय मूल्य, वन विकास उपकर, मूल्य संवर्धन कर (VAT), आय कर, ब्याज, गोदाम किराया एवं पुर्नजीवन शुल्क की प्रविष्टि करनी होगी । क्रेता द्वारा समस्त प्रविष्टि Caps Lock on करके ही की जानी चाहिये । क्रेता द्वारा प्रत्येक लाट हेतु पृथक से प्रविष्टि करनी चाहिये अर्थात् एक या एक से अधिक लाटों की प्रविष्टियों को जोड़कर एक प्रविष्टि नहीं करनी चाहिये । उक्त फार्म में पूरी जानकारी भरने के उपरांत Submit Button को क्लिक करना होगा । Submit Button

को क्लिक करने के बाद एक चालान प्रदर्शित होगा, क्रेता उक्त चालान का प्रिन्ट लेकर चालान में अंकित जानकारियों को बैंक द्वारा RTGS हेतु निर्धारित फार्म में भरकर चालान में अंकित राशि को RTGS करना होगा ।

क्रेता द्वारा RTGS करने एवं राशि संघ के खाते में जमा होने की पुष्टि पश्चात् ऑनलाईन मनी रसीद संबंधित जिला यूनियनों को उनके ई-मेल पर, क्रेता के ई-मेल पर तथा संघ मुख्यालय के ई-मेल पर स्वतः प्राप्त हो जावेगी ।

Annexure - II

Bidding Form
(Sample)

Lot No.	Distraict Union	Name of the Society	Quantity (S.B.)	UOM	Quote(Rs/ UOM)	Last Bid	Best bid	Message

परिशिष्ट- IV

(ई-नीलाम अधिसूचना क्रमांक ते.प.(2015)- V दिनांक 20.08.2015 का परिशिष्ट)

क्रेता का करारनामा

(ई-नीलाम सूचना की शर्त क्रमांक -7)

यह करार आज दिनांक .....माह.....सन्.....को प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो विलेख के प्रयोजन के लिए मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, ... वृत (जो इसके पश्चात् मुख्य वन संरक्षक के नाम से निर्दिष्ट है) के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जहां संदर्भ में ऐसा ग्राहय हो, उसके कार्यालयीन उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष के श्री..... .....आत्मज .....निवासी..... .....ग्राम.....और जो (1) श्री..... (2) श्री .....(3) श्री .... के साथ .....स्थित कम्पनी, जिसका नाम ....है तथा जो इंडियन कंपनी एक्ट, 1913 (7-1913), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय .....में स्थित है, के साथ भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात् क्रेता के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राहय न हो, उसके दायद, उत्तराधिकारी, निष्पादक और उनके उत्तरजीवी, अंतिम उत्तरजीवियों के दायद, निष्पादक तथा प्रशासक उक्त कंपनी का तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया गया जाता है (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो)

चूँकि छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदूपत्ते का व्यापार, छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (क्रमांक 29/1964) के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के अधीन बनाई गई छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और उसके अधीन बनाये गए नियमों तथा उनके कानूनी उपांतरणों, जहां तक वे ऐसे व्यापार को लागू है, द्वारा विनियमित होता है, और चूँकि राज्य शासन ने तेंदूपत्ते के संग्रहण व निर्वर्तन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित को अभिकर्ता नियुक्त किया है । संघ ने वर्ष 2015 में छत्तीसगढ़ राज्य में गोदामीकृत तेन्दूपत्ते के विक्रय के लिए अपनी ई-नीलाम सूचना क्रमांक ते.प.(2015) - V दिनांक 20.08.2015 के द्वारा ई-नीलाम आयेाजित था, और क्रेता लॉट क्रमांक ..... (अंको में) ..... (शब्दों में) समिति का नाम ..... एवं अधिसूचित मात्रा .....(अंकों में)..... (शब्दों में) और जिसको कथित ई-नीलाम सूचना की अनुसूची में पूर्णतया वर्णित किया गया है, के तेंदूपत्ते के क्रय के लिए की गई प्रस्तावित दर इसमें इसके पश्चात् दशाये गये निबंधनों एवं शर्तों पर स्वीकार की गई हैं और उसे इस कथित तेंदूपत्ते का दिनांक 15.03.2016 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए क्रेता नियुक्त करने के लिए वह सहमत हो गया है,

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं :-

1. क्रेता करारनामा की अवधि -

यह करार दिनांक..... से प्रारम्भ होगा और दिनांक 15.03.2016 तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार पूर्व में ही इसे समाप्त न कर दिया जाए ।

2. करारनामे के भाग -

इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 के, और उसके अधीन बनाये गये नियमों के, और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किए गए आदेशों तथा अधिसूचनाओं तथा इस ई-नीलाम सूचना के निबंधनों तथा शर्तों के तथा इस ई-नीलाम सूचना के **परिशिष्ट - I** में उल्लेखित सामान्य/अन्य निबंधनों एवं शर्तों तथा बोलीदारों के लिए निर्देशों के जो सब इस करार के भाग होंगे, और इसके भाग बन गये समझे जावेंगे, और जिनका अर्थ लगाया जायेगा कि इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है, उपबंधों के अध्यधीन है ।

3. क्रय दर आदि -

क्रेता इस लाट में संग्रहित/क्रय होने वाली मात्रा को जो कि अधिसूचित मात्रा से कम या अधिक हो सकती है को रु..... (अंकों में) ..... (शब्दों में) प्रति मानक बोरा की क्रय दर पर क्रय करेगा । लाट के क्रय मूल्य के अतिरिक्त क्रेता समय-समय पर प्रवृत्त वन विकास उपकर, मूल्य संवर्धित कर एवं सरचार्ज तथा अन्य कर/उपकर भी अदा करेगा ।

4. विक्रय "जहां है जैसा है" के आधार पर -

(I) उप कंडिका (II) के अध्यधीन रहते हुये तेंदूपत्तों का विक्रय "जहां है जैसा है" के आधार पर है । पत्तों की गुणवत्ता या उनके बीड़ी निर्माण हेतु उपयुक्तता के बारे में किसी भी समय कोई विवाद मान्य नही किया जायेगा और न ही संघ उनकी गुणवत्ता में किसी प्रकार के ह्रास के लिये उत्तरदायी होगा तथा पत्ते का भंडारण क्रेता के उत्तरदायित्व पर रहेगा ।

(II) यह अनुबंध तेंदूपत्ते की मानक बोरे में अधिसूचित मात्रा के क्रय/विक्रय के लिये है । वास्तविक बोरों की संख्या के संबंध में कोई विवाद मान्य नही किया जायेगा । यदि इस अनुबन्ध में सम्मिलित किसी लाट में ई-नीलाम सूचना में अधिसूचित मात्रा से अधिक संख्या में मानक बोरे निकलते हैं तो क्रेता को उन्हें भी लाट के लिये अनुबन्ध की कंडिका 21 में दर्शाये स्वीकृत दर पर अतिरिक्त भुगतान कर क्रय करना होगा । ऐसा अतिरिक्त भुगतान क्रेता को लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी होने के पूर्व करना होगा जैसा कि ई-नीलाम सूचना के **परिशिष्ट - I** में दर्शाया गया है । अधिसूचित मात्रा में किसी गणितीय अथवा लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार संघ सुरक्षित रखता है तथा किश्तों में तद्नुसार संशोधन किया जायेगा और क्रेता को संशोधित मात्रा एवं किश्तों को मान्य करना होगा ।

(III) स्टाक की उल्टा-पल्टी करने या उन्हें किसी अन्य गोदाम में स्थानांतरित करने का अधिकार, क्रेता को इस आशय की सम्यक् सूचना कि यदि वह चाहे तो उपरोक्त कार्य के समय उपस्थित रह सकता है, दिये जाने के उपरांत संघ/ जिला यूनियन के पास सुरक्षित है ।

5. देय राशि के भुगतान तथा पत्ते के परिदान की रीति -

(अ) क्रेता देय राशि अर्थात् देय करों सहित पूर्ण क्रय मूल्य का भुगतान प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में चार बराबर किश्तों में, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के नाम से **परिशिष्ट - VI** में जिला यूनियनों के समक्ष दर्शायें स्थानों के किसी बैंक शाखा पर देय किसी अनुसूचित बैंक के बैंक/ डिमांड ड्राफट द्वारा निम्न तिथियों को या उसके पूर्व करेगा ।

(राशि रुपये में)

किश्त	देय राशि की किश्तों के भुगतान की तिथि	क्रय मूल्य की राशि	वन विकास उपकर	मूल्य संवर्धित कर	अन्य	योग
प्रथम						
द्वितीय						
तृतीय						
चतुर्थ						

प्रत्येक किश्त के भुगतान के साथ आयकर रू. ..... एवं आयकर सरचार्ज रू..... कुल योग रू..... की किश्त का भुगतान भी करना होगा ।

उपर वर्णित कर/उपकर, आयकर एवं अन्य करों में पश्चातवर्ती संशोधन होने पर तद्नुसार यथास्थिति संशोधित राशि क्रेता द्वारा देय होगी ।

ई-नीलाम सूचना के प्रावधानों के अनुसार पटाई गई प्रतिभूति निक्षेप या उसकी अवशेष राशि जैसी भी स्थिति हो, जिला यूनियन के प्रबंध संचालक के संतुष्ट होने पर इस अनुबंध की कंडिका 10 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अंतिम किश्त के विरूद्ध समायोजित की जावेगी ।

(ब) यदि क्रेता द्वारा प्रथम किश्त की देय दिनांक तक किसी लाट का सम्पूर्ण क्रय मूल्य समस्त देय करों सहित भुगतान किया जाता है तो क्रय मूल्य की राशि के 2% के बारबर राशि की छूट दी जावेगी । यदि क्रेता इस सूविधा का लाभ उठाना चाहता है तो वह सम्पूर्ण क्रय मूल्य की 98% राशि तथा सम्पूर्ण क्रय मूल्य (100%) पर समस्त देय करों की राशि का भूगतान करेगा ।

(स) यदि क्रेता किसी किश्त की देय राशि का देय तिथि तक भुगतान करने में असफल रहता है, तो वह विलंबित अवधि के लिए 0.035 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से ब्याज देगा । यदि किसी किश्त की देय तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है तो ब्याज की गणना के लिये देय तिथि आगामी कार्य दिवस मानी जावेगी ।

(द)(I) क्रेता तेंदूपत्ते का ई-नीलाम सूचना की अनुसूची में अधिसूचित गोदामों से परिदान लेगा तथा वह गोदाम के अन्दर से बोरा हटाने में आया समस्त व्यय स्वयं वहन करेगा । क्रेता को पतो का परिदान केवल तभी दिया जायेगा जब कि देय राशि का विलंबित भुगतान की स्थिति में ब्याज सहित, पूर्ण भुगतान उसके द्वारा कर दिया गया है ।

(II) प्रत्येक किश्त की देय राशि का पूर्ण भुगतान किये जाने के पश्चात् लाट की अधिसूचित मात्रा के एक चौथाई भाग का परिदान दिया जायेगा । परिदान के समय लाट में से पत्तों की छंटाई की अनुमति नही दी जायेगी तथा परिदान छल्ली (स्टेक) के उस एक ओर से ही दिया जावेगा जिस ओर से परिदान प्रारंभ किया गया है ।(यदि प्रयुक्त न हो तो काट दें)

(III) क्रेता को उसके द्वारा परिदान में ली गई सम्पूर्ण मात्रा को संघ के गोदामों के परिसरों से हटाना होगा तथा उसे छंटाई या कोई अन्य कार्य संघ के गोदाम के परिसरों में या उनके निकट के क्षेत्र में करने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

(IV)(अ) प्रथम किश्त की देय राशि का पूर्ण भुगतान किये जाने के पश्चात् यदि क्रेता लाट के पत्तों का खुला परिदान लेना चाहता है तो उसे इस आशय का आवेदन पत्र मुख्य वन संरक्षक को देना होगा। क्रेता के आवेदन-पत्र पर मुख्य वन संरक्षक क्रेता को संघ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खुला परिदान देने की अनुमति देंगे। खुले परिदान के अंर्तगत लाट की अधिसूचित मात्रा के एक चौथाई भाग का परिदान दिया जायेगा । परिदान के समय लाट में से बोरों की छंटाई की अनुमति नही दी जायेगी तथा परिदान छल्ली के उस एक ओर से दिया जायेगा जिस ओर से परिदान प्रारंभ किया गया है ।

(ब) इस प्रकार के परिदान के समय प्रत्येक बोरे को खोलकर उसमें भरी हुई गड्डियों की गिनती क्रेता के समक्ष की जावेगी तथा उन्हें बोरों में पुनः भरकर तदनुसार मात्रा का निर्धारण कर परिदान दिया जावेगा । इस प्रकार गिनती एवं गड्डियों को बोरों में पुनः भरने, सिलाई, थप्पी करने आदि कार्यों पर होने वाला समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया जावेगा। इस व्यय का भुगतान क्रेता द्वारा इस तेंदूपत्ते के परिवहन के पूर्व किया जावेगा ।

(i) इस प्रकार गड्डियों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा यदि लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा से साढ़े सात प्रतिशत ($7^1/_2\%$) तक कम आती है, तो लाट की अधिसूचित मात्रा में कोई कमी नहीं की जावेगी एवं तदनुसार प्रथम किश्त के तेंदूपत्ते का परिदान क्रेता को किया जावेगा । इस प्रकार पाई गई कमी के संबंध में कोई विवाद मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्रेता को देय राशि में किसी प्रकार की कोई छूट देय नहीं होगी तथा आगामी किश्तों की देय राशि के भुगतान के पश्चात् शेष तेंदूपत्ते का अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिदान कर दिया जावेगा। शेष अधिसूचित मात्रा के परिदान के पूर्व उसके अवशेष बोरों में गड्डियों की कोई गिनती नहीं की जावेगी एवं न ही खुला परिदान दिया जावेगा ।

(ii) परन्तु यदि इस प्रकार गड्डियों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा से साढ़े सात प्रतिशत ($7^1/_2\%$) से अधिक कम आती है, तो लाट की अधिसूचित मात्रा में तदनुसार कमी कर प्रथम किश्त की देय राशि की गणना संशोधित कर क्रेता द्वारा अधिक जमा राशि आगामी किश्त/किश्तों में समायोजित की जावेगी ।

(iii) यदि इस प्रकार गड्डियों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा से अधिक आती है, तो इस अधिक मात्रा के लिये क्रेता को क्रय मूल्य तथा उस पर देय समस्त कर आदि का भुगतान करना होगा। इस प्रकार अधिक देय राशि के भुगतान के पश्चात् ही क्रेता को प्रथम किश्त के तेंदूपत्ते की इस अतिरिक्त मात्रा का परिदान दिया जावेगा ।

(iv) उपरोक्त शर्त क्रमांक (ii) एवं (iii) के अनुसार कम/अधिक मात्रा के आधार पर आगामी किश्तों की मात्रा भी संशोधित की जावेगी एवं तदनुसार इस संशोधित मात्रा के आधार पर क्रेता को आगामी किश्तों की देय राशि का भुगतान करना होगा एवं इस संशोधित मात्रा के आधार पर ही क्रेता को आगामी किश्तों के तेंदूपत्ते का परिदान दिया जावेगा, जिसे उसे मान्य करना होगा। प्रथम किश्त के उपरांत आगामी किश्तों के पत्ते का खुला परिदान किसी भी स्थिति में नहीं दिया जावेगा ।

इस प्रकार कंडिका 5 (द) (IV) (ब) (i), (ii),(iii) के अनुसार परिगणित की गई मात्रा एवं देय राशि के संबंध में मुख्य वन संरक्षक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

(ई) नीचे दी गई कंडिका (फ) के प्रावधान के अध्यधीन, किश्त की देय दिनांक या भुगतान की दिनांक, जो भी बाद में हो से 45 दिनों के भीतर गोदाम से तेंदूपत्ता हटाना होगा, परन्तु यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो परिदान आदेश को जिला यूनियन के प्रबंध संचालक से पुनर्जीवित कराना होगा ।

(फ) क्रेता को उसके द्वारा क्रय किये गये तेंदूपत्ते को गोदामों से केवल करार अवधि में ही हटाने का अधिकार है तथा करार अवधि समाप्त होने पर उसका तेंदूपत्ता की शेष मात्रा पर कोई अधिकार नहीं होगा तथा ऐसा तेंदूपत्ता संघ की संपत्ति बन गया माना जावेगा । तथापि यदि क्रेता ने लाट के पूर्ण क्रय मूल्य का भुगतान कर दिया है तथा उसका करारनामा समाप्त नहीं किया गया है और उसने अवधि वृद्धि शुल्क के रूप रुपये 10000/- का तथा गोदाम किराये के रूप में करार अवधि समाप्त होने से प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए रुपये 5/- प्रति वास्तविक बोरा की दर से भुगतान कर दिया है और मुख्य वन संरक्षक को तेंदूपत्ते को हटाने की अनुमति देने हेतु लिखित आवेदन दिया है, तो मुख्य वन संरक्षक ऐसी अनुमती ऐसी कालावधि के लिए दे सकेंगे जो करार की समाप्ति की तिथि से 60 दिनों से अधिक की नहीं होगी । परन्तु उपरोक्त 60 दिवस की अवधि समाप्ति के उपरांत भी विशेष परिस्थितियों में संघ के प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से तेंदूपत्ता हटाने हेतु इस पत्ते के निर्वर्तन के पूर्व 30 दिवस की अतिरिक्त अवधि दे सकेंगे ।

6. बैंक गारंटी के विरूद्ध पत्ते के परिदान की सुविधा -

(क) ई-नीलाम सूचना की कंडिका 9(II) के प्रावधान के अध्यधीन यदि क्रेता बैंक गारंटी के विरूध्द पत्ते के परिदान की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है तो वह क्रय मूल्य के 30 प्रतिशत के बराबर राशि की किसी अनुसूचित बैंक की गारंटी प्रथम किस्त की देय तिथि से पूर्व दे सकेगा । ऐसी स्थिति में क्रेता के द्वारा पत्ते का परिवहन केवल गोदाम से ही किया जा सकेगा, न कि फड़ से । पत्तों का परिवहन निम्नानुसार एवं निम्न शर्तों तथा निबंधनों के अधीन किया जाएगा ।

(I) बैंक गारंटी करार अवधि समाप्ति के दो माह उपरांत अर्थात् दिनांक..... तक वैध होगी तथा इसकी पुष्टि बैंक द्वारा कर दी गई हो । गारंटी प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में होगी ।

(II) बैंक गारंटी की पुष्टि होने के पश्चात् प्रथम किश्त से संबंधित समस्त देय कर बैंक/डिमांड ड्राफट द्वारा कंडिका 7 के अनुसार पटाने पर उसे 1/4 भाग के पत्ते के परिदान की अनुमति दी जाऐगी । क्रेता के द्वारा कंडिका 5 के प्रावधानों के अनुसार देय कर सहित प्रथम किश्त पटाने पर उसे दूसरे 1/4 भाग का पत्ता और दे दिया जाऐगा और इसी प्रकार दूसरी किश्त पटाए जाने पर उसे 1/4 भाग का पत्ता और दे दिया जाऐगा और तदानुसार । (यदि प्रयुक्त न हो तो काट दें)

या

(ख) ई-नीलाम सूचना की कंडिका 9(II) के प्रावधान के अध्यधीन, यदि क्रेता 100 प्रतिशत बैंक गारंटी के विरूद्ध पत्ते के परिदान की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है तब वह प्रथम किश्त की नियत दिनांक के पूर्व क्रय मूल्य के बराबर जिला यूनियन के प्रबंध संचालक के पक्ष में किसी भी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी प्रस्तुत कर सकता है अथवा वह प्रथम किश्त की समस्त देय राशि के भुगतान के उपरांत एवं द्वितीय किश्त की नियत दिनांक के पूर्व अवेशष क्रय मूल्य के बराबर जिला यूनियन के प्रबंध संचालक के पक्ष में किसी भी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी स्थिति में पत्ते का परिदान निम्न शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार किया जावेगा ।

(I) बैंक गारंटी करार अवधि समाप्ति के दो माह उपरांत अर्थात् दिनांक..... तक वैध होगी तथा इसकी पुष्टि बैंक द्वारा कर दी गई हो । गारंटी प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में होगी । बैंक गारंटी करार अवधि समाप्ति के दो माह उपरांत तक अर्थात् दिनांक..... ..... तक वैध होगी तथा इसकी पुष्टि बैंक द्वारा कर दी गई हो । गारंटी प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में होगी ।

(ii) बैंक गारंटी की पुष्टि होने के पश्चात् क्रय मूल्य/अवेशष क्रय मूल्य से संबंधित देय समस्त कर बैंक/डिमांड ड्राफट द्वारा पटाने पर तेंदूपत्ते के परिदान की अनुमति दी जायेगी । क्रेता के द्वारा कंडिका 5(अ) के प्रावधानों के अनुसार देय किश्तों की राशि का भुगतान किया जावेगा ।

(ग)(I) क्रेता के द्वारा किसी भी किश्त की रकम समय पर न पटाने पर उसके द्वारा दी गई बैंक गारंटी का नगदीकरण कर लिया जाएगा तथा राशि बैंक से प्राप्त होने तक कंडिका 5(स) में निर्धारित ब्याज दर से ब्याज भी नगदीकृत राशि से वसूल किया जाऐगा ।

(II) बैंक गारंटी प्रस्तुत करने से क्रेता, संघ को वह देय राशि जिस हेतु बैंक गारंटी दी गई है के भुगतान किये जाने के उत्तरदायित्व अथवा बाध्यता से मुक्त नहीं होगा । संघ के बैंक गारंटी के नगदीकरण के अधिकार पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना संघ को समस्त देय राशि के भुगतान का पूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता का है ।

(III) यदि संघ उसको देय किसी भी राशि को बैंक गारंटी के किसी भी कारण से नगदीकरण न होने की वजह से वसूल नहीं कर पाता है, तो ऐसी देय राशि क्रेता के द्वारा भुगतान योग्य होगी और उसके द्वारा ऐसा भुगतान न करने पर ऐसी राशि संघ के बैंक गारंटी के नगदीकरण के

अधिकार पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव डाले बिना भू-राजस्व की बकाया के बतौर वसूली योग्य होगी और ऐसी राशि क्रेता की अन्य ऐसी राशि जो कि संघ के पास इस करारनामों के प्रावधानों के अंर्तगत उपलब्ध हो या संघ एवं क्रेता के बीच अन्य किसी प्रचलित करारनामे अथवा भविष्य में निष्पादित किए जाने वाले करारनामे के अंर्तगत संघ के पास उपलब्ध हो, से भी वसूली योग्य होगी ।

(IV) इस करारनामे के अंर्तगत दी गई बैंक गारंटी का यदि नगदीकरण किसी भी कारण से नहीं होता है जिसके फलस्वरूप संघ को देय राशि प्राप्त नहीं होती है तो इसे इस करारनामे का विशिष्ट उल्लंघन माना जाएगा, जिसके कारण यह करारनामा समाप्त किया जा सकेगा और क्रेता को 5 वर्ष की कालावधि तक के लिये काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा एवं क्रेता करारनामे की कंडिका 13 के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

(V) इस कंडिका के प्रयोजन हेतु बैंक गारंटी ई-नीलाम सूचना के साथ संलग्न **परिशिष्ट - V** में दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत की जाऐगी ।

7. करों का भुगतान -

(I) इस करार के अधीन संघ को देय कोई भी किश्त अथवा राशि तब तक दी गई नहीं मानी जायेगी, जब तक उस पर देय समस्त करों का भी भुगतान न कर दिया जाए ।

(II) क्रेता छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार मूल्य संवर्धित कर तथा वन विकास उपकर का भुगतान **परिशिष्ट - I** की शर्त क्रमांक 14 में दर्शाये विवरण के अनुसार करेगा ।

(III) क्रेता, जब तक उसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में छूट नहीं दे दी गई हो, आयकर अधिनियम 1961 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार आयकर का भुगतान प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में, **परिशिष्ट - VI** में जिला यूनियनों के समक्ष दर्शायें स्थानों के किसी भी अनुसूचित बैंक के पृथक बैंक ड्राफट/डिमांड ड्राफट के रूप में करेगा । यथा स्थिति संघ को देय पत्तों के क्रय मूल्य या उसके भाग का तब तक भुगतान नहीं माना जाएगा, जब तक कि उस पर देय आयकर का भी पूर्णतः भुगतान नहीं कर दिया गया हो ।

8. विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना -

संघ या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या वन मंडलाधिकारी क्रेता को तेंदूपत्तों के परिदान के पश्चात् छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966 के अंर्तगत प्रावधानित प्रारूप "ठ" में उसका विक्रय प्रमाण - पत्र प्रदान करेगा ।

9. करारनामे का अनुपालन -

यदि पूर्वोक्त एवं ई-नीलाम सूचना में विनिर्दिष्ट परिवहन/निकासी तथा क्रय की शर्तों का पूर्णतः पालन/परिपालन नहीं किया जाता है, तो पत्तों को क्रय किया गया नहीं समझा जावेगा ।

10. प्रतिभूति निक्षेप -

(I) क्रेता अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के द्वारा या अधीन जहां तक कि वे इस करार के संदर्भ में लागू होते हों, उसके द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित समस्त कार्यों तथा कर्तव्यों को करने तथा निषिद्ध किये गये किसी कार्य के स्वयं द्वारा उसके सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा किये जाने से विरत रहने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है और अपने द्वारा तथा अपने सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के सम्यक् पालन तथा अनुपालन किए जाने के लिए मुख्य वन संरक्षक के पक्ष में उसके द्वारा ई-नीलाम सूचना के प्रावधानों के अनुसार रूपये..... की राशि प्रतिभूति के रूप में नियमानुसार निक्षेपित की गई है ।

(II) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधों के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जा सकता है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी ।

(III) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी ।

(IV) प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि, जैसी भी स्थिति हो, वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामे के समस्त निबंधनों एवं शर्तो, अधिनियम, नियमावली तथा ई-नीलाम सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात् अंतिम किश्त के विरूद्ध समायोजित की जावेगी । लाट की अधिसूचित मात्रा से अधिक पायी गई मात्रा का परिदान क्रेता द्वारा लेना होगा । उक्त अधिक मात्रा हेतु देय राशि, लाट के विक्रय मूल्य के आधार पर उसे भुगतान करना होगा । लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र उसके द्वारा उक्त राशि भुगतान करने पर ही जारी किया जावेगा ।

(V) उपरोक्तानुसार उप कंडिका (IV) में दर्शाये समायोजन के उपरान्त अवशेष प्रतिभूति निक्षेप की बैंक गारंटी/नगद राशि वन मंडलाधिकारी की संतुष्टि, कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामें के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा ई-नीलाम सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात् क्रेता को वापस कर दी जावेगी ।

11. अधिनियम का उल्लंघन आदि -

क्रेता यह करार करता है कि वह उसके अथवा उसके द्वारा नियोजित किए गए व्यक्तियों के द्वारा अधिनियम, नियमावली और इस करारनामे के प्रावधानों के किए गए प्रत्येक उल्लंघन के लिए संघ/शासन को रूपया 1000/- (एक हजार) तक की राशि की देनगी करेगा ।

12. शास्तियाँ -

यदि क्रेता करार की किसी भी शर्त को भंग करें और यदि ऐसे भंग के कारण करार को समाप्त करना प्रस्तावित न हो तो जिला यूनियन के प्रबंध संचालक प्रत्येक भंग के लिए ऐसी शास्ति जो रूपये 1000/- (एक हजार) से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा। यदि शास्ति की राशि रूपये 500/- (पांच सौ) से अधिक हो, तो इस आदेश के विरूद्ध आदेश जारी होने के 30 दिन की अवधि के भीतर अपील मुख्य वन संरक्षक को की जा सकेगी, जिसका विनिश्चय अंतिम तथा बंधनकारी होगा ।

13. क्रेता के करारनामे की समाप्ति-

(I) यदि क्रेता प्रथम दो किश्तें तृतीय किश्त की देय तिथि के पूर्व या तृतीय किश्त चतुर्थ किश्त की देय तिथि के पूर्व या अंतिम किश्त उसकी देय तिथि के 15 दिन के अन्दर या अन्य कोई देय राशि अदा नहीं करता है या इस प्रलेख के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का अनुवर्तन करने में चूक करता है, तो ऐसे किन्हीं भी अधिकार तथा उपचारों पर जो मुख्य वन संरक्षक को प्राप्त हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मुख्य वन संरक्षक अपने विवेक पर इस करार को क्रेता को 15 दिन का नोटिस देकर एवं उसे सुनवाई का अवसर देकर समाप्त कर सकेगा और क्रेता का नाम पाँच वर्ष तक की कालावधि के लिये काली सूची में दर्ज कर सकेगा ।

(II) करार की समाप्ति का आदेश क्रेता को व्यक्तिशः परिदत्त किया जावेगा या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जावेगा । करार की समाप्ति करार के समाप्त करने के आदेश के दिनांक से प्रभावी होगी ।

(III) करार की समाप्ति पर संघ, निम्नलिखित के लिए हकदार होगा :-

(अ) संपूर्ण प्रतिभूति निक्षेप की राशि को अधिहरित करने ।

(ब) गोदाम में रखे तेंदूपत्ते के स्कंध, जिसका भुगतान कर दिया गया है परन्तु परिदान नहीं लिया गया हो को संघ के पक्ष में अधिहरित करने ।

(स) (i) गोदाम में रखे तेंदूपत्ते का, जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा गोदाम में रखे तेंदूपत्ते के उस स्कंध का जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक 13(III)(ब) के अधीन अधिहरित किया गया है का विक्रय करने और हानि की वसूली करने । ऐसी हानि क्रेता द्वारा कंडिका 7 के अंर्तगत प्रस्तुत बैंक गारंटी, यदि प्रस्तुत की गई हो, के नगदीकरण तथा साथ ही गोदाम में रखे तेंदूपत्ते, जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा गोदाम में रखे तेंदूपत्ते, जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक 13(III)(ब) के अधीन अधिहरित किया गया है, के विक्रय से भी वसूली योग्य होगी । यदि लाट का पुनः विक्रय करारनामा समाप्ति के आदेश के उपरांत प्रथम निविदा/ई-नीलाम में नहीं हो पाता है अथवा पुनः विक्रय की स्वीकृति के पूर्व तेन्दूपत्ता अग्नि से नष्ट हो जाता है तो लाट का विक्रय मूल्य शून्य मानकर क्रेता से हानि वसूली की कार्यवाही की जावेगी । यदि पश्चातवर्ती निविदा/ई-नीलाम में लाट का पुनर्विक्रय हो जाता है तो प्राप्त क्रय मूल्य अथवा बीमा से प्राप्त राशि का समायोजन हानि की राशि में किया जावेगा । यदि हानि की वसूली हो चुकी हो तो ऐसी दशा में प्राप्त क्रय मूल्य क्रेता को भुगतान कर दिया जावेगा परन्तु ऐसी राशि पर क्रेता को कोई ब्याज देय नहीं होगा । करारनामा समाप्त होने की दशा में प्रथम क्रेता से हानि की वसूली हेतु गणना निम्नानुसार की जावेगी :-

संबंधित निविदा/ई-नीलाम से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदामीकरण, पर्यवेक्षण तथा बीमा इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती ई-नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां ।

(ii) इसके पश्चात् भी कोई हानि की वसूली शेष हो तो, ऐसी शेष हानि की राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने,

(iii) यदि ऐसे पुनः विक्रय पर लाट के लिये देय राशि से अधिक राशि प्राप्त होती है तो, संघ पूर्ण राशि प्रतिधारित करने का हकदार होगा और क्रेता का उस पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा ।

(द) हानि की वसूली के लिये किये गये समस्त खर्चे एवं व्यय वसूल करने,

(ई) अधिरोपित की गई समस्त शास्तियां तथा निर्धारित क्षतिपूर्ति, जिसका भुगतान नहीं हुआ हो वसूल करने,

(IV)(अ) यदि करारनामा समाप्ति के उपरांत एवं पत्तों की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व बकायादार क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, ब्याज समस्त देयकर एवं उपकर, अधिरोपित शास्तियां तथा रूपये 10000/- प्रति लाट की दर से पुर्नजीवन शुल्क आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में कर दिया जाता है तो संघ के प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से उक्त करार को पुर्नजीवित कर सकेंगे और करार अवधि को आवश्यक होने पर बढ़ा सकेंगे तथा उपरोक्तानुसार समस्त देय राशि एवं पुर्नजीवन शुल्क के पूर्ण भुगतान के उपरांत ही तेंदूपत्ते के अपरिदत्त स्टाक का उसे परिदान कर दिया जाएगा । क्रेता को परिदान प्राप्त करने से पूर्व कंडिका-5(फ) में दर्शायें अनुसार गोदाम

किराये, यदि पुर्नजीवित करार की अवधि करार अवधि की समाप्ति की मूल तिथि के आगे तक बढ़ती है, का भुगतान अग्रिम में करना होगा ।

(ब) यदि क्रेता शर्त क्रमांक 13(IV)(अ) में वर्णित सुविधा नहीं लेना चाहता है एवं लाट के अवशेष क्रय मूल्य के भुगतान की किश्तवार सुविधा प्राप्त करना चाहता है तो क्रेता के आवेदन पर संघ के प्रबंध संचालक यदि चाहें तो स्वविवेक से क्रेता को किश्तवार भुगतान की सुविधा दे सकेंगे एवं उक्त करार को पुनर्जीवित कर सकेंगे, परन्तु इस स्थिति में क्रेता को देय किश्त की तिथि से विलम्बित अवधि के लिये देय राशि समस्त देय कर, उपकर तथा अधिरोपित शास्तियों की राशि, पर 0.045% प्रतिदिन की दर से ब्याज एवं रूपये 10000/- प्रति लाट की दर से पुर्नजीवन शुल्क देना होगा । पुनरीक्षित किश्तों की तिथियां तथा परिदान अवधि प्रबंध संचालक, संघ स्वविवेक से निर्धारित कर सकेंगे ।

(V) जब भी करार को पुनजीर्वित किया जाता है तो समाप्ति के कारण अधिहरित प्रतिभूति निक्षेप स्वतः प्रत्यावर्तित हो जावेगी ।

(VI) तथापि यदि क्रेता का करारनामा समाप्त नहीं किया गया है एवं करार अवधि समाप्त हो चुकी है तो पत्तों की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, ब्याज, समस्त देयकर एवं उपकर, अधिरोपित शास्तियां तथा रूपये 10000/- प्रति लाट की दर से अवधि वृद्धि शुल्क एवं गोदाम किराये के रूप में करार अवधि समाप्त होने से प्रत्येक माह या उसके भाग के लिये रूपये 5/- प्रति वास्तविक बोरा की दर से राशि आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है तो संघ के प्रबंध संचालक स्वविवेक से तेंदूपत्ता हटाने की अनुमति क्रेता द्वारा लिखित में आवेदन पत्र देने पर दे सकेंगे ।

14. लेखाओं का रख-रखाव -

क्रेता ऐसे प्रपत्रों में ऐसे लेखा रखेगा, तथा ऐसी पाक्षिक विवरणियां ऐसी तिथियों को या उनके पूर्व प्रस्तुत करेगा जैसा जिला यूनियन के प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाए ।

15. क्रेता के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन -

क्रेता ऐसे समस्त कार्यों एवं कर्तव्यों, जो उसके द्वारा किये गये जाने के लिए अपेक्षित है, का निर्वहन करेगा और अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन निषिद्ध ऐसे कार्य जहां तक ये इस करार के संदर्भ में असंगत न हो, स्वयं के या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा किये जाने से प्रविरत रहेगा ।

16. स्कंध का बीमा -

(I) क्रेता करारनामा निष्पादित होने के बाद, संघ लाट/लाटों के स्वीकृत क्रय मूल्य के बराबर की राशि का बीमा, केवल निम्नानुसार आकस्मिकताओं से होने वाली हानि के लिए कराएगा- अग्नि, लाईटनिंग, एक्सप्लोजन, इमप्लोजन, इम्पेक्ट, हवाई दुर्घटनाएं, उपद्रव, हड़ताल, दुर्भावनाजन्य क्षति तथा स्पोनटेनियस कम्बश्चन ।

(II) (अ) **यदि क्रेता चाहे तो वहः-**

(i) अन्य प्राकृतिक अथवा अदृष्ट आपदाओं जैसे वर्षा, तूफान, बाढ़, बीमारी, भूकम्प या अन्य किसी भी कारण से हुई क्षति के दिए बीमा अपने स्वयं के व्यय पर करा सकेगा और इन कारणों से हुई हानि या क्षति के लिए संघ का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

(ii) संघ के द्वारा कराए गऐ बीमा की राशि से उच्च राशि के लिए भी बीमा वह अपने स्वयं के व्यय पर करा सकेगा ।

(ब) ऐसी अधिक राशि अथवा उपरोक्त संदर्भित अन्य आपदाओं के लिए बीमा कराने की सूचना क्रेता को जिला यूनियन के प्रबंध संचालक को देनी होगी ।

(III) यहां किये गये प्रावधान के अलावा संघ, किसी भी कारण से तेंदूपत्ते के स्टाक को हुई क्षति के कारण क्रेता को किसी प्रकार की हुई हानि या लाभ की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा । यदि तेंदूपत्ता की किसी भी मात्रा की क्षति होती है तो संघ केवल, उसके द्वारा की गई बीमा की राशि तक ही, अर्थात् क्रय मूल्य की सीमा तक ही क्षतिपूर्ति करने के दायित्वाधीन होगा और वह भी केवल उस स्थिति में जब हानि, अग्नि, लाईटनिंग, एक्सप्लोजन, इमप्लोजन, इम्पेक्ट, हवाई दुर्घटनाएं, उपद्रव, हड़ताल, दुर्भावनाजन्य क्षति तथा स्पोनटेनियस कम्बश्चन अर्थात् उपरोक्त उप कंडिका (I) में दर्शित कारणों से हुई हो और यह भी कि यह क्षतिपूर्ति उस स्थिति में ही की जावेगी जबकि क्रेता ने क्रय मूल्य की राशि संघ को पटा दी हो, परन्तु उसने परिदान न लिया हो । यह प्रतिपूर्ति की राशि बीमा कंपनी से प्राप्त होने पर ही क्रेता को दी जाएगी ।

17. तेंदूपत्ता का परिवहन और अनुज्ञापत्र जारी करना-

क्रेता तेंदूपत्तों का परिवहन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये परिवहन अनुज्ञा पत्र के बिना जैसा कि अधिनियम और नियमावली में अनुध्यात है, नहीं करेगा । लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र क्रेता के द्वारा समस्त देय राशियों के भुगतान करने पर ही जारी किया जावेगा ।

18. स्टाम्प शुल्क का भुगतान-

छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुये रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम 1870 और उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का सभी समयों पर क्रेता पालन करेगा ।

19. प्रथम प्रभार -

(एक) यथास्थिति क्रय मूल्य या उनकी अतिशेष ऐसी समस्त रकम, जो ई-नीलाम सूचना के निबंधनों तथा शर्तों तथा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों, अधिनियम और नियमों के अधीन देय है, क्रेता द्वारा तेंदूपत्ता के लिए गये परिदान पर प्रथम प्रभार होगी ।

(दो) क्रेता तेंदूपत्तों का निर्यात या बीड़ी बनाने के लिए उनका उपयोग या किसी अन्य प्रकार से उनका व्ययन तब तक नहीं करेगा, जब तक कि यह प्रभार पूर्णतः उन्मोचित न कर दिया जाये ।

20. न्यायालय की अधिकारिता-

(एक) इस करार के अधीन उद्‌भूत होने वाला कोई विवाद, छत्तीसगढ़ न्यायालयों की अधिकारिता अध्याधीन होगा ।

(दो) यदि कोई क्रेता शासन/संघ के विरूद्ध न्यायालय में जाता है तथा निर्णय शासन/संघ के पक्ष में होता है तो क्रेता न्यायालयीन कार्यवाही के कारण वनोपज के मूल्य में हुई कमी के लिये उत्तरदायी होगा, इसकी वसूली क्रेता से ब्याज सहित की जावेगी ।

21. क्रेता के द्वारा क्रय किये गये लाटों का विवरण-

क्रेता के द्वारा क्रय किये गये लाटों का विवरण तथा किन दरों पर तेंदूपत्ता क्रय किया गया है, नीचे दिया गया है ।

(राशि रूपये में)

जिला यूनियन	लाट क्रमांक	समिति का नाम	मात्रा मा.बो.	क्रय दर प्रति मा.बो.	क्रय मूल्य	वन विकास उपकर
1	2	3	4	5	6	7
योग						

वाणिज्यिक कर	वाणिज्यिक कर सरचार्ज	अन्य कर	योग (6+7+8+9+10)	आयकर	आयकर सरचार्ज	योग (12+13)
8	9	10	11	12	13	14

योग

जिसके साक्ष्य में, इसमें उपर लिखित दिनांक तथा सन् को मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक ने यहां अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा अपने कार्यालय की सील लगाई है और उपर नामित क्रेता (क्रेताओं) ने अपने/उनके अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं ।

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में मुख्य वन संरक्षक एवं संघ के पदेन महाप्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर किये गये, सील लगाई गई और परिदत्त किया गया ।

साक्षीगण :-

1. .....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से

2. .....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

मुख्य वन संरक्षक एवं संघ के पदेन महाप्रबंधक
---------- वृत्त

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में उपर नामित क्रेता द्वारा हस्ताक्षर किये गयेः-

साक्षीगण :-

1. .....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

क्रेता/क्रेताओं के हस्ताक्षर
नाम-.....
डाक का पता-.....

2. .....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

परिशिष्ट – VI

ई-नीलाम अधिसूचना क्रमांक ते.प.(2015) - V दिनांक 20.08.2015

जिला यूनियनवार बैंक ड्राफ्ट भुगतान हेतु देय स्थान

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	जहाँ बैंकड्राफ्ट भुगतान हेतु देय होगा
1	2	3
1	बीजापुर	बीजापुर
2	सुकमा	सुकमा
3	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा
4	जगदलपुर	जगदलपुर
5	दक्षिण कोण्डागांव	कोण्डागांव
6	उत्तर कोण्डागांव	कोण्डागांव
7	नारायणपुर	नारायणपुर
8	पूर्व भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर
9	पश्चिम भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर
10	कांकेर	कांकेर
11	राजनांदगांव	राजनांदगांव
12	खैरागढ़	खैरागढ़
13	दुर्ग	दुर्ग
14	कवर्धा	कवर्धा
15	धमतरी	धमतरी
16	गरियाबंद	गरियाबंद
17	महासमुन्द	महासमुन्द
18	बलौदा बाजार	बलौदा बाजार
19	बिलासपुर	बिलासपुर
20	मरवाही	पेण्ड्रारोड़
21	जांजगीर-चांपा	चांपा
22	रायगढ़	रायगढ़
23	धर्मजयगढ़	धर्मजयगढ़
24	कोरबा	कोरबा
25	कटघोरा	कटघोरा
26	जशपुर नगर	जशपुर नगर
27	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़
28	कोरिया	बैकुण्ठपुर
29	सरगुजा	अम्बिकापुर
30	बलरामपुर	बलरामपुर
31	सूरजपुर	सूरजपुर

परिशिष्ट - VII

(ई-नीलाम अधिसूचना क्रमांक ते.प.(2015) - V दिनांक 20.08.2015 का परिशिष्ट)

वनोपज संघ द्वारा मनीरसीद जारी करने हेतु आवेदन पत्र

(जो लागू हो उसे भरे धनादेश अथवा डी.डी. / आर.टी.जी.एस. अथवा एन.ई.एफ.टी./ नेट बैंकिंग)

प्रति,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

विषयः- मनीरसीद जारी करने बाबत् ।

महोदय,

मैं/हम मनीरसीद जारी करने हेतु निम्नानुसार विवरण उपलब्ध कर रहे हैं/हूँ :-

1. क्रेता का नाम - .....
2. आयकर का पी.ए.एन. - .....
3. ई-मेल - .....
4. मोबाइल नंबर - .....
5. वनोपज का नाम - तेन्दूपत्ता/ सालबीज/ हर्रा/ गोंद/ इमली/चिरौंजी गुठली/ महुआ बीज/ लाख
6. संग्रहण वर्ष - .....
7. समायोजन का विवरण -

क्र.	जिला यूनियन का नाम	वर्ष	लाट क्रमांक	राशि
1	2	3	4	5

8. डी.डी. का विवरण (संलग्न)

क्र.	डी.डी. क्रमांक	तिथि	बैंक	राशि
1	2	3	4	5

अथवा

आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी का विवरण (बैंक पावती संलग्न)

जमाकर्ता क्रेता का बैंक विवरण		धनादेश जो आर.टी.जी.एस./ एन.ई.एफ.टी. हेतु उपयोग किया गया	यू.टी.आर. क्रमांक	राशि	दिनांक	संघ खाता का नाम एवं खाता क्रमांक जहाँ राशि जमा की गई
बैंक खाता क्रमांक	बैंक खातेदार का नाम					
1	2	3	4	5	6	7

अतः कृपया उपरोक्तानुसार मनीरसीद जारी कर संबंधित जिला यूनियन को भेजने का कष्ट करें एवं साथ ही हमें भी सूचित करें ।

दिनांकः- .....
संलग्नः-

(हस्ताक्षर)
नाम एवं पता